



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

(संयुक्त वन भवन कार्यालय चाईबासा, पो०-चाईबासा, पो० सिंहभूम,
पिन-833201) दूरभाष-06582-256332 (0)Mail.gov.in-cf-chaibasa@gov.in



पत्र संख्या: CHAI/MIN/...326.....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर।

चाईबासा, दिनांक - 23-02-2021

विषय :- सोनुवा-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.28 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

- प्रसंग :-
- (1) झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक- वनभूमि-17/2020-3313 व.प., दिनांक-22.10.2020
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 915 दिनांक 28.10.2020
 - (3) आपका ज्ञापांक-246, दिनांक- 01.02.2021
 - (4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल का पत्रांक 303 दिनांक 22.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि वन विभागीय प्रासंगिक पत्र- 01 तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र- 02 द्वारा विषयगत मामले में कुल 03 बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल के पत्रांक 303 दिनांक 22.02.2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है:-

क्रमांक	पृच्छा की विवरणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1	प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई का राजस्व पदाधिकारी द्वारा Authenticated Land Schedule.	प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई में उपयोग में आनेवाली भूमि के लिए राजस्व पदाधिकारी (अंचल अधिकारी, सोनुवा/गुदड़ी) द्वारा निर्गत Authenticated Land Schedule की प्रति संलग्न है (अनुलग्नक-01)।	
2	जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक-1105(B)/रा० दिनांक 11.09.2020 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के रकवा में संशोधन करते हुए प्रस्ताव के पार्ट-I, II, III एवं IV की प्रति।	आवश्यक Online संशोधन के पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक-92 दिनांक-05.02.2021 द्वारा Form-A, Part-I की प्रति प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित की गई, जिसे अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न समर्पित की जा रही है। Part II & Part III अनु०-3 के रूप में संलग्न है।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक-246 दिनांक- 01.02.2021 के माध्यम से संशोधित Part-II (Recommendation of DFO) तथा Part-III (Recommendation of CF) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करा दी गई थी जो कि उनके स्तर से Online Edit के लिए Ministry को भेजा जाना था।

3	CWLW, झारखण्ड का मन्तव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-116 दिनांक-07.01.2021 के अनुसार उनके कार्यालय में CWLW, झारखण्ड, राँची का मन्तव्य प्राप्त हो गया है।	वन्यप्राणी संरक्षण/प्रबंधन के संबंध में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा Undertaking/घोषणा पत्र समर्पित किया जा चुका है।
---	---------------------------	--	--

अनुरोध है कि भवदीय के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त अभिलेखों की छः प्रतियाँ अत्रसह संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह०/-

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

ज्ञापांक :- 326

दिनांक:- 23/02/2021

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा को उनके पत्रांक 303 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
23-02-21

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

(Signature)
23/02/21



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- dfo-porahat@gov.in

पत्रांक-303 / चाईबासा, दिनांक-22-02-2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय :- सोनुवा-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.28 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

- प्रसंग :-
- (1) झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक-वनभूमि-17/2020-3313 व.प., दिनांक-22.10.2020
 - (2) प्र०मु०व०सं०-सह-का०नि०, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-915, दिनांक-28.10.2020
 - (2) क्षे०मु०व०सं०, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक-246, दिनांक-01.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (1) के कम में सूचित करना है कि विभाग द्वारा की गई पृच्छा का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नांकित है :-

क्रमांक	पृच्छा की विवरणी	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1	प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई का राजस्व पदाधिकारी द्वारा Authenticated Land Schedule.	प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई में उपयोग में आनेवाली भूमि के लिए राजस्व पदाधिकारी (अंचल अधिकारी, सोनुवा/गुदड़ी) द्वारा निर्गत Authenticated Land Schedule की प्रति संलग्न है (अनुलग्नक-01)।	
2	जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक-1105(B)/रा० दिनांक-11.09.2020 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन करते हुए प्रस्ताव के पार्ट-I, II, III एवं IV की प्रति।	आवश्यक Online संशोधन के पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक-92 दिनांक-05.02.2021 द्वारा Form-A, Part-I की प्रति इस कार्यालय में समर्पित की गई है, जिसे अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न समर्पित की जा रही है। Part II & Part III अनु०-3 के रूप में संलग्न।	क्षे०मु०व०सं०, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक-246, दिनांक-01.02.2021 के माध्यम से संशोधित Part-II (DFO Recommendation) तथा Part-III, प्र०मु०व०सं०-सह-का०नि०, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करा दी गई थी जो कि उनके स्तर से Online Edit के लिए Ministry को भेजा जाना था।
3	CWLW, झारखण्ड का मन्तव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-116 दिनांक-07.01.2021 के अनुसार उनके कार्यालय में CWLW, झारखण्ड, राँची का मन्तव्य प्राप्त हो गया है।	वन्यप्राणी संरक्षण/प्रबंधन के संबंध में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा Undertaking/घोषणा पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अनुरोध है कि भवदीय के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय, उपर्युक्त अभिलेख की सात प्रतियाँ संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

11/11/21
22/2/21

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पोडाहाट वन प्रमण्डल चाईबासा।

22/2/21



Office of the Divisional Forest Officer, Porahat Forest Division, Chaibasa.

Recommendation Certificate

Sonua-Pansua-Lodhai- Gudri road is critical to link Gudri block to Sonua block (Sonua is further well connected to Sub-Division headquarter, Chakradharpur). Presently the road is just a cart road in maximum stretch and is non-motorable during monsoon period.

As this linear project is located in a notified elephant reserve, i.e. Singhbhum Elephant Reserve, with evidences of the forest on both sides of the road being used by elephant as resident habitat for 5-6 months in a year, and elephant herds crossing the said road few times, a wildlife mitigation plan would be needed to reduce impacts of the project on mega fauna as well as other fauna in the region.

In view of the larger public interest 18.28 ha. of forest land may be diverted for widening and strengthening.

Hitish
28/01/2021
Divisional Forest Officer,
Porahat Forest Division, Chaibasa
DIVISIONAL FOREST OFFICER
PORAHAT FOREST DIVISION
CHAIBASA

Part-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forest)

14. Whether the site where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forest (Yes/No) if yes, the date of inspection and observation made in form of inspection note to be enclosed.	No
15. Whether the concerned Conservator of Forest agrees with the information given in part-II and recommendation of Deputy Conservator of Forests.	Yes
16. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Detailed information regarding the proposal diversion has been mention in the inspection report and recommendation part-II of Divisional Forest officer, Porahat Forest Division, Chaibasa. Undersigned is agree with the recommendation of DFO as mention is part-II. Proposal for diversion of 18.28 ha. forest land may be considered as per provisions.



Name:- (Kumar Ashutosh) I.F.S

Designation:- Conservator of Forests

Territorial Circle, Chaibasa

Date:- 28/01-2021

Conservator of Forests

Territorial Circle Chaibasa